न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2019/00310/225

1. नारायणसिंह पुत्र सरदार सिंह,
2. महावीर सिंह पुत्र सोहनसिंह,
   जाति राजपूत, निवासी ग्राम सुनाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पदम सिंह पुत्र सोहन सिंह,
2. प्रेम सिंह पुत्र सोहन सिंह,
3. उगम सिंह पुत्र सोहन सिंह,
4. कुन्दन सिंह पुत्र सरदार सिंह,
5. इन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह,
6. चन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह,
7. गणपत सिंह पुत्र मानसिंह, ।
8. रेवत सिंह पुत्र मानसिंह,
9. कमोद कंवर पत्नी भंवर सिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सुनाडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर दिनांक 31.7.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 29/2018.

उपस्थितः—

1. श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. श्री आर0एस0 खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 8.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 7 व 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—13.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 31.7.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद वास्ते इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया जो अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । वाद पत्र के साथ अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 313 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पर्चा खातेदारी सोहनसिंह, सरदारसिंह पुत्रान देवीसिंह, मानसिंह पुत्र लादूसिंह एवं किशनसिंह पुत्र प्रभूसिंह के नाम से जारी हुआ था । विवादित आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 1

लगायत 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे तथा मुताबिक रिकार्ड काबिज काश्त थे और वर्तमान में भी काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 के हक में गलत इंद्राज हो गया तथा बिशनसिंह पुत्र मगनसिंह द्वारा बिना विधिक अधिकार के खसरा नंबर 313 में से 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि को मौखिक रूप से बेचान कर दिया । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण दिनांक 25.6.1966 को खुलवा लिया तथा नरपत सिंह नाऔलाद फौत हो गया, जिसकी विरासत का नामांतकरण अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के हक में बराबर खुलवा लिया तथा अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने हक में खुले नामांतकरण में से कुछ भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 9 के हक में विक्रय के आधार पर तस्दीक करवा दिया । इस प्रकार नामांतकरण संख्या 74, 304, 603 निरस्त किए जाने योग्य है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की आराजी खसरा नंबर 313/1 का रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जिसका बरवक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 313 था के नये खसरा नंबर 476 व 477 कायम किए गए है जिसका गलत नामांतकरण तस्दीक किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 31.7.2019 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस ने अधी0 न्याया0 के समक्ष स्पष्ट रूप से यह तथ्य अंकित किए थे कि आराजी खसरा नंबर 313 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पर्चा खातेदारी सोहनसिंह, सरदारसिंह पुत्र देवीसिंह एवं मानसिंह पुत्र लादूसिंह तथा बिशनसिंह पुत्र प्रभूसिंह के नाम से जारी हुआ था लेकिन उक्त आराजी में से 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि बाबत् नामांतकरण संख्या 74 गलत रूप से नरपतसिंह के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतकरण सोहनसिंह वगैरह द्वारा खसरा नंबर 313/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा नरपतसिंह को बेचान स्वीकार किए जाने के आधार पर तस्दीक किया गया है, जबकि किसी तरह का बेचान हुआ ही नहीं था । ऐसी स्थिति में नामांतकरण संख्या 74 पूर्णतया अवैधानिक है । उक्त स्थिति पर गौर किए बिना अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय पारित कर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता बरती है । अधी0न्याया0 के समक्ष यह निवेदन किया था कि नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 25.6.1966 को ग्राम पंचायत सुनाडिया द्वारा तस्दीक ही नहीं किया गया था । इस बाबत् ग्राम पंचायत सुनाडिया की नामांतकरण पंजिका भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहीं भी नामांतकरण संख्या 74 ग्राम पंचायत सुनाडिया द्वारा स्वीकृत किये जाने का उल्लेख नहीं है इससे भी नामांतकरण संख्या 74 गलत व फर्जी होना पूर्णतया साबित था । अवैधानिक नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 25.6.1966 की पालना में नरपतसिंह पुत्र मानसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया तथा नरपतसिंह का फौतगी नामांतकरण संख्या 304 दिनांक 4.8.1992 वर्तमान अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के नाम स्वीकृत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा अपने हिस्से में से कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 9 के हक में विक्रय कर दी गई जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 603 स्वीकृत किया गया । उक्त तीनों ही नामांतकरण पूर्णतया अवैधानिक होकर अपीलांटस के हक

व अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर किए बिना प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु रिकार्डेड खातेदर को भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है ताकि वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े । प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड से प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण पूर्णतया साबित था तथा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण आशंका साबित है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं करने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है जो त्रुटिपूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है । वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 एवं 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने नामांतकरण बाबत् लगभग 50 वर्षो के उपरांत ऐतराज पेश किया है । नामांतकरण संख्या 74 में सरपंच, उप–सरपंच व वार्ड पंचों के समक्ष मोहनसिंह ने विक्रय करना स्वीकार किया था जिसके आधार पर उक्त नामांतकरण स्वीकृत किया गया है । अपीलांट ने नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 25.6.1966 को आधार बनाकर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि उक्त नामांतकरण के पश्चात् नामांतकरण संख्या 304 दिनांक 4.8.1992 को विरासत के आधार पर गणपतसिंह व रेवतसिंह के नाम खोला जा चुका है तत्पश्चात् रेवतसिंह ने अपने हिस्से में से बेचान कमोद कंवर पत्नि भंवरसिंह रेस्पो0 संख्या 9 को कर दिया है जिसके पक्ष में भी नामांतकरण संख्या 603 स्वीकृत हो चुका है । वर्तमान राजस्व किरार्ड में आराजी खसरा नंबर 476 रकबा 0.24 है0 व खसरा नंबर 477 रकबा 1.30 है0 के रेवतसिंह, कुमोद कंवर काबिज काश्त होकर खातेदार दर्ज है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 25.6.1966 को गलत एवं फर्जी होने का कथन कर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । नामांतकरण संख्या 74 फर्जी एवं अवैध है अथवा नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेकार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 9 होकर काबिज काश्त है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के बजाय रेस्पो0 संख्या 7 से 9 के पक्ष में पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.7.2019 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर